प्रभारी पदाधिकारी
जिला जन शिकायत कोषांग
मधेपुरा

(26)

पत्रांक–ज0 शि0 को0(मु0 स0)–07/2007 – 1580

बिहार सरकार,
जन शिकायत कोषांग,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

गिरीश शंकर,
सरकार के प्रधान सचिव।

09 JUN 2008

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव, बिहार, पटना।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार।
आरक्षी महानिदेशक, बिहार, पटना।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।
सभी आरक्षी अधीक्षक, बिहार।

पटना, दिनांक– 27/05/2008

विषयः– नवगठित सूचना–सह–जन शिकायत कोषांग के लिए पदाधिकारियों/कर्मचारियों के अनुबंध के आधार पर सृजित पदों से सम्बद्ध दिशा–निर्देश के संबंध में।

प्रसंगः– इस कोषांग का स्वीकृत्यादेश–सह–ज्ञाप संख्या–556 दिनांक–19.02.08.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश के आलोक में कतिपय विभागों/कार्यालयों से विभिन्न बिन्दुओं पर मार्गदर्शन/दिशा–निर्देश की अपेक्षा की जा रही है। यद्यपि इन बिन्दुओं के निराकरण का उल्लेख प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश के संबद्ध कंडिका में है तथापि इन शंकाओं/बिन्दुओं/पृच्छाओं के शमन के क्रम में इसकी आवश्यकता महसूस की गयी कि एक समेकित दिशा–निर्देश परिचारित की जाय ताकि भविष्य में किसी बिन्दु पर अलग से मार्गदर्शन की आवश्यकता न हों। अतएव प्राप्त एवं संभाव्य आसन्न शंकाओं/बिन्दुओं/पृच्छाओं का निराकरण निम्नरूपेण हैः–

चयन समिति का गठन

स्वीकृत्यादेश की कंडिका–7 में नियोजन की प्रक्रिया एवं शर्तों का अंकण है। चयन समिति का गठन विभागीय स्तर पर विभागीय प्रधान सचिव/सचिव, प्रमंडलीय स्तर पर प्रमंडलीय आयुक्त तथा जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी के अधीन किया जायेगा। तात्पर्य है कि राज्य सरकार द्वारा प्रावधानित नियमों के आलोक में सबद्ध समिति का गठन किया जाएगा।

नियुक्ति के आरक्षण नियमों का पालन

स्वीकृत्यादेश की कंडिका–7 के उप कंडिका (iv) में नियोजन की प्रक्रिया एवं शर्तों का उल्लेख है कि सभी पदों पर अनुबंध के आधार पर नियोजन करते समय राज्य में प्रभावी आरक्षण नियमों का पालन किया जायगा।

पदों का अवधि विस्तार

स्वीकृत्यादेश की कंडिका–7 के उप कंडिका (i) में नियोजन की प्रक्रिया एवं शर्तों द्वारा यह प्रावधानित है कि संविदा/अनुबंध के आधार पर नियोजन की अवधि सभी पदों के लिए प्रथम चरण में एक वर्ष के लिए होगी। जिसके अवधि विस्तार हेतु आवश्यकतानुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी के स्तर से कार्रवाई की जानी है।

आवंटन

स्वीकृत्यादेश की कंडिका–6 के उप कंडिका (iv) में निहित प्रावधान के अनुसार विभाग में स्वीकृत बल के पारिश्रमिक/मानेदय का भुगतान विभाग के द्वारा संबंधित मद कार्यालय व्यय ईकाई से किया जाएगा। प्रमंडल/आरक्षी महानिदेशक तथा जिला स्तर पर स्वीकृत बल के पारिश्रमिक/मानदेय का भुगतान हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की मांग के अनुसार वित्त विभाग से आवंटन सम्बधित मद {कार्यालय व्यय (आकस्मिक व्यय)} में उपलबध कराया जायगा और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा प्रमंडल/आरक्षी महानिदेशक कार्यालय तथा जिला को आवश्यकतानुसार उप आंवंटित किया जायगा। तात्पर्य है कि प्रमंडल/आरक्षी महानिदेशक कार्यालय तथा जिला में भुगतान के निमित्त मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा सम्बंधित मद {कार्यालय व्यय (आकस्मिक व्यय)} में आवश्यकतानुसार निधि उप आवंटित किया जाएगा।

विश्वासभाजन

26/5/08

(गिरीश शंकर)
सरकार के प्रधान सचिव